

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री चंद्रमोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 121/ इंदौर /2020

निर्धारण वर्ष : 2016-17

श्री आशीष जैन, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल, उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एईईपीजे 9475 एल		

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री आशीष गोयल तथा एन.डी.पटवा, एडवोकेट
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.सिंगी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.07.2021
उद्घोषणा तिथि	29.07.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के आदेश दिनांक 17.01.2020 के विरुद्ध निदेशित है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने “विवाद से विश्वास योजना,2020” के तहत आवेदन किया है । “विवाद से विश्वास योजना,2020” हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपील को वापिस लेना अपेक्षित है अतः इस अपील को वापिस लेने हेतु अनुरोध किया गया ।

3. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लेने हेतु पात्र होने के उद्देश्य से वर्तमान अपील को वापिस लेने हेतु किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया ।
4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लिया है, अतः निर्धारिती को वर्तमान अपील को वापिस लेना है । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा निर्धारिती द्वारा दाखिल वर्तमान अपील को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते है ।
5. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।
6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 29.07.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(चंद्रमोहन गर्ग)

न्यायिक सदस्य

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 29.07.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फ़ाइल